

कार्यालय वन संरक्षक रीवा वन वृत्त रीवा

केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म0प्र0
Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in,

आदेश

रीवा,दिनांक 08-04-2023

क्रमांक/मा.चि./2023/75 मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 621/03/नियम/चार, भोपाल दिनांक 03.09.2003 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली के पत्र क्रमांक/मा.चि./1773 दिनांक 31.03.2023 से जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि के बदले न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 56/अ-20(3)/2022-23 दिनांक 18 जनवरी 2023 से प्राप्त 67.30 हे. क्षेत्र में तैयार की गई क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है—

योजना का नाम	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	कार्य का प्रकार	कार्य स्थल का नाम	खसरा क्रमांक	प्रस्तावित क्षेत्रफल हे. में	तकनीकी स्वीकृति की राशि रुपये में
जल जीवन मिशन योजना	सिंगरौली	चितरंगी	कर्थुआ	क्षतिपूर्ति वनीकरण (वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना)	ग्राम नौगाई—द्वितीय	64	0.24	25425267.00
						67	0.62	
						68	8.44	
						69	7.92	
						70	3.39	
						71	11.87	
						72	8.63	
						73	14.05	
						76	0.70	
						77	0.60	
						79	3.93	
						80	6.77	
						84/1	0.14	
13 किता						67.30		

शर्त—

- सभी क्षतिपूर्ति वनीकरण रोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. क्रमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
- जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई एवं अक्टूबर माह में कराई जावे।
- कार्य का क्रियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि लेने पर गुणांक की दर से मजदूरी दर में वृद्धि का प्रावधान किया गया है फिर भी यदि दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है, तो अन्तर की राशि सम्बन्धित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।
- सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन अनिवार्य हो।

(राजेश कुमार राय)
मा.व.सो.

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.

रीवा, दिनांक 08-04-2023

पृ.क्रमांक/मा.चि./2023/2596

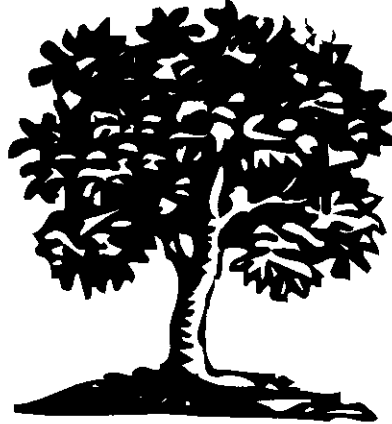
प्रतिलिपि— वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न— प्राक्कलन 02 प्रति में।

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



जल जीवन मिशन योजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का ग्यारह वर्षीय प्राक्कलन

योजना का नाम	:	जल जीवन मिशन योजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य
स्थल का नाम	:	नौगई-2
खसरा क्रमांक	:	खसरा नम्बर, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 84/1
रकबा (हेक्टेयर में)	:	67.30 हेक्टेयर
जी.पी.एस. रीडिंग	:	24°29'22.3"N, 82°17'23.00"E
प्रस्तावित राशि	:	25425267
प्रति हेक्टेयर व्यय	:	377790
योजना वर्ष	:	2022-23 से 2032-33

वन परिक्षेत्र कर्तुआ
वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य)

जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का प्राक्कलन

चेक-लिस्ट

84/1

स्थल- नौगई-2 खसरा नम्बर, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79 ,80, रकवा 67.30 हेक्टेयर वर्ष 2022-23

क्र०	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रस्तावित राशि	प्रति (हेक्टेयर व्यय)	समिति की सामान्य जानकारी	उपचार की जानकारी	प्राक्कलन	उपचार मानचित्र	गूगल मानचित्र	स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	घेराव कार्य हेतु प्रमाण-पत्र	ग्राम वन समिति का प्रस्ताव	.KML फाईल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	जल जीवन मिशन योजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का ग्यारह वष्रीय प्राक्कलन	67.3	25425267	377790	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	ई-मेल से प्रेषण	

वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन

भाग-1

सामान्य विवरण

1- परियोजना का विवरण

(अ) परियोजना का नाम

जल जीवन मिशन योजना के तहत वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य का ग्यारह वर्षीय प्राक्कलन

(ब) भारत सरकार का अनुमोदन

—

(स) प्रत्यावर्तित वनभूमि का विवरण

—

i- जिला

— सिंगरौली (मध्य प्रदेश)

ii- वन मण्डल

— सिंगरौली

iii- परिक्षेत्र

— कर्तुआ

iv- तहसील

— चितरंगी

v- विकास खण्ड

— चितरंगी

vi- विधान सभा क्षेत्र

— चितरंगी

vii- क्षेत्रीय परिक्षेत्र सहायक वृत्त

— हरफरी

viii- क्षेत्रीय परिसर (बीट)

— धानी

2- स्थल विशेष जानकारी

—

i- सामुदायिक वन प्रबंधन समिति

— नौगई-2

ii- वन खण्ड एवं कक्ष क्रमांक

— राजस्व क्षेत्र

iii- कुल क्षेत्रफल

— 71.56 हे०

iv- कार्यवृत्त

— आर.डी.एफ.

v- उपचार श्रेणी/प्रबंध श्रेणी

—

vi- उपचार इकाई/कूप क्रमांक एवं ड्यू वर्ष

— —

vii- स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दूरी

— 25 किलोमीटर

3- गठित समिति का प्रकार

— सामुदायिक वन प्रबंधन समिति

4- समिति का मुख्यालय

— धानी

5- समिति में सम्मिलित ग्राम

— नौगई, गजरहवा, कोनिया, सरईहवा, भितरी

6- समिति के अध्यक्ष का नाम

— श्री अशोक कुमार द्विवेदी

7- परिसर रक्षक/वनरक्षक का नाम

— श्री दिनेश कुमार रत्नाकर

8- परिक्षेत्र सहायक का नाम

— श्री शिवेन्द्र कुमार रावत, वनपाल

9- समिति के सदस्यों की जानकारी

—

वर्ग	लघु कृषक			सीमांत कृषक			भूमिहीन			अन्य			योग		
	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल	पु०	म०	कुल
आदिवासी	355	285	640	176	158	334	0	0	0	0	0	0	531	443	974
हरिजन	65	56	121	18	12	30	0	0	0	0	0	0	83	68	151
पिछड़ा वर्ग	256	182	438	74	51	125	0	0	0	0	0	0	330	233	563
सामान्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	676	523	1199	268	221	489	0	0	0	0	0	0	944	744	1688

10- उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं रचना –

i-	टोपोग्राफी	–	समतल एवं हल्की पहाड़ी
ii-	एस्पेक्ट	–	पूर्व-पश्चिम
iii-	ढलान	–	सामान्य
	A- पानी निकासी		अच्छी
	B- भू-क्षरण		आंशिक
iv-	चट्टानों का विवरण	–	सैण्डस्टोन
v-	मिट्टी का प्रकार	–	सेन्डीलोम
vi-	औसत वार्षिक वर्षा	–	110 से.मी.
vii-	नरम मिट्टी का क्षेत्र	–	17.30 हेक्टेयर
viii-	कड़ी मिट्टी का क्षेत्र	–	50 हेक्टेयर
ix-	पथरीली मिट्टी	–	निल
x-	आंशिक वन वर्धन का क्षेत्र	–	निल
xi-	आंशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	–	निल
xii-	खरपतवार (मुख्यतः लेन्टाना) क्षेत्र	–	निरंक
xiii-	वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	–	67.30 हेक्टेयर
xiv-	चारागाह रोपण योग्य क्षेत्र	–	निरंक
xv-	विकृत बांस का क्षेत्र	–	निरंक
xvi-	क्षेत्र जो पथरीला कटाव वाला एवं प्राकृतिक रूप से रिक्त है (कार्य अयोग्य) है	–	निरंक

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	सामान्य	40 प्रतिशत	निरंक
चराई	निरंक	निरंक	निरंक
मानव	सामान्य	सामान्य	निरंक

11- योजना का उद्देश्य –

- परियोजना हेतु व्यवर्तित क्षेत्र से दुगने क्षेत्र का वनीकरण।
- क्षेत्र में पूर्व में मौजूद जड़ भण्डार को विकसित करना।
- क्षेत्र में मौजूद विकृत पौधों को कटबैक कर सीधे वृक्ष के रूप में परिवर्तित करना।
- वृक्षारोपण क्षेत्र का वनीकरण कर क्षेत्र को हरा-भरा बनाना।
- क्षेत्र का जल संरक्षण संरचनाएं निर्मित कर जल-स्तर को ऊपर उठाना।
- समिति सदस्यों को रोजगार मुहैया कराना एवं कालान्तर में स्थापित वन से सस्टेनेबल लाभ प्राप्त करना।
- क्षेत्रीय जनता को रोजगार उपलब्ध करना।

12- उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण

- | | | | |
|------|------------------------------|---|----------------|
| i- | कटबैक का क्षेत्र | – | निरंक |
| ii- | वृक्षारोपण का क्षेत्र | – | 67.30 हेक्टेयर |
| iii- | भू एवं जल संरक्षण का क्षेत्र | – | निरंक |

13- रोपणी का नाम जहां पौधे तैयार किये जायेंगे

– ओबरी, जोगदहा, निगरी एवं रीवा नर्सरी

14- रोपणी से रोपण स्थल की दूरी

– 75 कि.मी से 250 किलोमीटर

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|---------------|
| i- | लोकल ट्रेक्टर द्वारा (कि.मी.) | – | 20 कि.मी |
| ii- | सिखोड़ा द्वारा (कि.मी.) | – | 1 से 2 कि.मी. |

15- सिंचाई का विवरण :-

- | | | | |
|------|--------------------|---|-------|
| i- | जल स्रोत | – | निरंक |
| ii- | वृक्षारोपण से दूरी | – | निरंक |
| iii- | सिंचाई प्रकार | – | निरंक |
| iv- | बिजली उपलब्धता | – | निरंक |

16-	योजना अवधि	—	2022—23 से 2032—33
17-	योजना पर होने वाले सम्भावित व्यय (विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न हैं)	—	25425267
18-	प्रति हेक्टेयर व्यय		377790
19-	अन्य विवरण		

क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा हेतु संवेदनशीलता के मद्देनजर चेनलिंग फेंसिंग का प्रावधान रखा गया है तथा प्रभावी सुरक्षा हेतु परियोजना की अवधि ग्यारह वर्षीय रखी गई है। रोपण क्षेत्र की सुरक्षा ग्राम वन समितियों के माध्यम से की जायगी।

भाग—2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं।



परिसर रक्षक— श्री दिनेश कुमार रत्नाकर

सचिव— सामुदायिक वन प्रबंधन समिति पिपरी

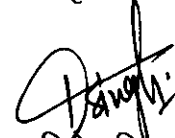
प्रमाणित किया जाता है कि स्थल का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई।



परिक्षेत्र सहायक— श्री शिवेन्द्र कुमार रावत, वनपाल

परिक्षेत्र सहायक वृत्त— हरफरी

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार/वृक्षारोपण कार्य के योग्य है।



वनपरिक्षेत्राधिकारी

कर्तुआ

वैकल्पिक वृक्षारोपण का प्राक्कलन

क्षेत्र तैयारी (प्रथम वर्ष 2022-23)

मानव दिवस रुपये 359.00

रकबा- 67.30 हेक्टेयर

स्थल का नाम :- ग्राम नौगई-2 खसरा नम्बर, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 84/1

क्र0	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मावन दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	67.3	0.45	हेक्टेयर	30	10872	APCCF जॉब दर
2	भाग 1/2	क्षेत्र सफाई क्षेत्र की समस्त अनुपयोगी झाड़ियाँ (लेन्टाना छोड़कर) एवं खकरी कटाई (20 से.मी. से नीचे) कर एकत्रित करना जलाना	60	4.00	हेक्टेयर	240	86160	APCCF जॉब दर
3	भाग 1/3	लेन्टाना उन्मूलन	5	12.50	हेक्टेयर	63	22438	APCCF जॉब दर
4	भाग 1/3	कटबैक 20 से.मी. से कम गोलाई की विकृत अग्रिम पौध की कटाई	10	1.20	हेक्टेयर	12	4349	APCCF जॉब दर
5	भाग 1/4	स्टेकिंग- गड़दे खोदने के पूर्व रस्सी से लाईन डालना एवं घूने से गड़दे हेतु निशान लगाना अंतराल 3x2 मीटर एवं 4x4 मीटर	67300	2.50	हजार	168	60402	APCCF जॉब दर
6	भाग 1/5	गड़दा खुदाई						
		30x30x30 से.मी.	0	3.00	सैकड़ा	0	0	APCCF जॉब दर
		45x45x45 से.मी.	67300	5.00	सैकड़ा	3365	1208035	APCCF जॉब दर
7	RES SOR	फॉसिंग के चारों ओर तथा रोपण क्षेत्र में सेक्टर निर्माण तथा पहुंच मार्ग निर्माण	6.73	85000	प्रति कि.मी.	1593	572050	RES SOR
8	भाग 1/10, 2/15, एवं RES SOR	भू एवं जल संरक्षण कार्य						APCCF जॉब दर
		1. कन्दूर ट्रेंच/रिंग ट्रेंच (3.00x0.45x0.45 मी.) खुदाई एलाइनमेंट सहित	0	0.3315	नग	0	0	APCCF जॉब दर
		2. मिट्टी बंधन (मिट्टी के चैकडेम)	1200	0.60	घ.मी.	720	258480	APCCF जॉब दर
		3. लूज बोल्टर चैकडेम	200	1.00	घ.मी.	200	71800	APCCF जॉब दर
		4. कण्टूर बण्ड (0.60x0.45x0.30 से.मी.)	0	0.18	र.मी.	0	0	APCCF जॉब दर
		5. परकोलेशन टैंक निर्माण	4	250000	र.मी.	2786	1000000	RES SOR
		6. तालाब निर्माण	0	1500000	नग	0	0	RES SOR
		योग भू-जल संरक्षण कार्य -				3706	1330280	
9	भाग 1/17	गड़दों में कीटनाशक, गोबर खाद मिश्रित मिट्टी बदलना	67300	1.50	सैकड़ा	1010	362411	APCCF जॉब दर
10	एल.एस.	झोपड़ी निर्माण	-	-	एल.एस.	167	60000	एल.एस.
		योग मजदूरी -				10187	3716997	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
11	निविदा दर	गड़दों में डालने के लिए उपजाऊ मिट्टी का संग्रहण एवं परिवहन (गड़दों के आयतन का 30)	1839.81	769	घ.मी.	3941	1414817	निविदा दर
12	निविदा दर	गोबर खाद क्रय एवं परिवहन (गड़दों के आयतन का 15 प्रतिशत)	1226.54	799	घ.मी.	2730	980007	निविदा दर
13	एल.एस.	अन्य व्यय (चूना, रस्सी, गेरू, ब्लैक जापान क्रय, साईन बोर्ड, लोहे का गेट क्रय, आर.सी.सी. पोल, चैनलिक फॉसिंग लोकल डुलाई आदि)	-	-	एल.एस.	246	88312	एल.एस.
		योग सामग्री -				6917	2483136	
		योग (मजदूरी+सामग्री) :-				17103	6200133	
चैनलिक फॉसिंग आर.सी.सी. पोल्स के साथ								
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/5	चैनलिक फॉसिंग के लिये गड़दे खोदना (साईज 30x30x45 से.मी.) 2700 र.मी. में 2.50 मीटर के अन्तराल पर	2369	3.80	सैकड़ा	90	32317	APCCF जॉब दर

2	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/2222 रीवा, दिनांक 10.03.2010 से अनुमोदित दर अनुसार	ट्रकबुल प्वाइंट से पोल गड्डे तक ले जाना तथा गड्डों में पोल गाड़ना, सीमेंट कंक्रीट तैयार कर कंक्रीटिंग कार्य करवाना (मिस्त्री मजदूरी सहित) तथा अगले 4 दिन तक तराई करना। चैनलिक या तार ट्रकबुल प्वाइंट से फेंसिंग स्थल तक ले जाना, तार या चैनलिक खंभे में फंसाकर कसना, यूनेल्स लगाना तथा चैनलिक की जमीनी सतह को मिट्टी से दबाना।	5.922	85.00	कि.मी.	503	180722	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/2222 रीवा, दिनांक 10.03.2010 से अनुमोदित दर अनुसार
3	भाग 2/13	चैनलिक फेंसिंग में तीन पंक्ति (ऊपर, नीचे एवं मध्य) में बारबेड वॉयर खींचकर लगाना	5922	0.096	प्रति र.मी.	569	204110	APCCF जॉब दर
		योग मजदूरी -				1162	417149	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
1	LUN की दर	फेंसिंग के लिये (Pre-Stressed) आर.सी. सी. पोलस की खरीदी (कैंची सहित) साईज 2.00 मी.	2606	248.00	नग	1800	646252	LUN की दर
2	LUN की दर	चैनलिक जाली खरीदी (5922 Rmt. X 1.50 = 8883.60 वर्ग मीटर के लिए) (साईज-100x100mmx4mm) 2.26kg./Sq.m.	8883.60	154.00	वर्ग मी.	3811	1368074	LUN की दर
3	LUN की दर	चैनलिक के ऊपर एवं नीचे तथा मध्य में तनाव हेतु बारबेड वॉयर क्रय	2221	77.00	कि.ग्रा.	476.35	171009	LUN की दर
4	निविदा दर	चैनलिक को आर.सी.सी पोलस से बाँधने के लिये वाईडिंग वॉयर क्रय	833	73.00	कि.ग्रा.	169.38	60809	निविदा दर
5	PWD SOR Item Number 4.1.2.2	पोल्स फिक्स करने के लिए सीमेंट काक्रीट 40 एम.एम. मेटल 1:3:6 - एक गड्डे का कुल आयतन 30X30X45 Cm. = 0.0405 फेंसिंग पोस्ट का आयतन कम करने पर 45x15x15Cm. = 0.0101 शुद्ध आयतन 0.0304 घ.मी. प्रति गड्डा।	72.02					PWD SOR Item Number 4.1.2.2
	निविदा दर	सीमेंट क्रय (परिवहन सहित)	313	310.00	प्रति बोरी	271	97119	निविदा दर
		गिट्टी 40 एम.एम. क्रय (परिवहन सहित)	65.25	1199.00	प्रति घ.मी.	218	78235	
		रेता क्रय (परिवहन सहित)	32.63	1149.00	प्रति घ.मी.	104	37486	
		योग :-				6850	2458985	
		योग फेंसिंग (मजदूरी+सामग्री) :-				8012	2876134	
		महायोग -				25115	9076267	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					134863	

द्वितीय वर्ष - 2023-24 (रोपण कार्य)

मानव दिवस रु. 359.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	-	पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	74030	20.00	प्रति नग	4124	1480600	-
2	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/4595 रीवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर	पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	74030	48.00	हजार	3553	1275685	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/4595 रीवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़दों तक पहुंचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	74030	0.40	सैकड़ा	296	106307	APCCF जॉब दर
4	भाग 3/5	पौधा रोपण कार्य						
		30x30x30 से.मी. गड़दों में रोपण	0	1.50	सैकड़ा	0	0	APCCF जॉब दर
		45x45x45 से.मी. गड़दों में रोपण	67300	1.80	सैकड़ा	1211	434893	APCCF जॉब दर
5	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत कार्य	0.000	0.00	प्रति कि.मी.	0	0	एल.एस.
6	भाग 2/10	निर्दाई कार्य						
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	67300	1.25	सैकड़ा	841	302009	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	67300	1.00	सैकड़ा	673	241607	APCCF जॉब दर
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	67300	1.00	सैकड़ा	673	241607	APCCF जॉब दर
7	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (कृषारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	5.922	2.25	प्रति कि.मी.	13.33	4784	APCCF जॉब दर
8	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	67300	0.60	सैकड़ा	404	144964	APCCF जॉब दर
9	भाग 2/12	पौधों की सिंचाई कार्य	74030	1.25	प्रति सैकड़ा	925	332210	APCCF जॉब दर
10	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	270	359.00	प्रति दिवस	270	96930	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				12985	4661595	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
11	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	3365	0.137	कि.ग्रा.	461	165501	बाजार दर
12	बाजार दर	दम्री कम्पोस्ट (1/2 किलो प्रति पौधा) क्रय एवं परिवहन	336.5	2.66	विक्टल	895	321337	बाजार दर
13	एल.एस.	अन्य आकस्मिक व्यय	0	0.00	एल.एस.	56	20000	एल. एस.
		योग सामग्री -				1412	506838	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				14397	5168433	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					76797	

तृतीय वर्ष – 2024-25 (रखरखाव का प्रथम वर्ष)

मानव दिवस रु. 359.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रूपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	-	पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	6730	20.00	प्रति नग	375	134600	-
2	मुख्य वन संरक्षक सेवा, वृत्त सेवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/4596 सेवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर	पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	6730	48.00	हजार	323	115971	मुख्य वन संरक्षक सेवा, वृत्त सेवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/4596 सेवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड़बो तक पहुँचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	6730	0.40	सैकड़ा	27	9664	APCCF जॉब दर
4	भाग 2/9	मृत पौधों के स्थान पर नया पौधा लगाना प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)	6730	1.50	सैकड़ा	101	36241	APCCF जॉब दर
5	एल.एस.	भू-जल संरक्षण कार्य का मरम्मत	0	0.00	एल.एस.	139	50000	एल. एस.
6	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत कार्य	5.922	0.00	प्रति कि.मी.	125	45000	एल. एस.
7	भाग 2/10	निर्दाई कार्य						
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	67300	1.25	सैकड़ा	841	302009	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	67300	1.00	सैकड़ा	673	241607	APCCF जॉब दर
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	67300	1.00	सैकड़ा	673	241607	APCCF जॉब दर
8	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	67300	0.60	सैकड़ा	404	144964	APCCF जॉब दर
9	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	5.922	2.25	प्रति कि.मी.	13.33	4784	APCCF जॉब दर
10	भाग 2/12	पौधों की सिंचाई कार्य	6730	1.25	प्रति सैकड़ा	84	30201	APCCF जॉब दर
11	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	365	359	प्रति दिवस	365	131035	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				4144	1487683	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
12	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी - (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	3365	0.137	कि.ग्रा.	461	165501	बाजार दर
13	बाजार दर	वर्मी कम्पोस्ट (1/2 किलो प्रति पौधा) क्रय एवं परिवहन	336.5	2.66	कि.ग्रा.	895	321337	बाजार दर
14	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	125	45000	एल. एस.
		योग सामग्री -				1481	531838	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				5625	2019521	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					30008	

चतुर्थ वर्ष 2025-26 (रखरखाव का द्वितीय वर्ष)

मानव दिवस रु. 359.00

क्र0	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	—	पौधा रोपण हेतु पौधा क्रय 10 प्रतिशत अतिरिक्त	6730	20.00	प्रति नग	375	134600	—
2	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/4585 रीवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर	पौधा परिवहन (दूरी 50-250 कि.मी. तक, लोडिंग अनलोडिंग सहित)	6730	48.00	हजार	323	115971	मुख्य वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा के पत्र क्रमांक/व्यय एक/4585 रीवा, दिनांक 22.07.2014 से अनुमोदित दर
3	भाग 2/4	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर संग्रहित पौधों को गड्ढों तक पहुँचाना समस्त साईज की दूरी 2 कि.मी. तक)	6730	0.40	सैकड़ा	27	9664	APCCF जॉब दर
4	भाग 2/9	मृत पौधों के स्थान पर नया पौधा लगाना प्रत्यारोपण कार्य (10 प्रतिशत)	6730	1.50	सैकड़ा	101	36241	APCCF जॉब दर
5	एल.एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	एल.एस.	0	0	एल. एस.
6	एल.एस.	फेंसिंग मरम्मत कार्य	5.922	0.00	प्रति कि.मी.	28	10000	एल. एस.
7	भाग 2/10	निर्दाई कार्य						
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	67300	1.25	सैकड़ा	841	302009	APCCF जॉब दर
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	67300	1.00	सैकड़ा	673	241607	APCCF जॉब दर
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	67300	1.00	सैकड़ा	673	241607	APCCF जॉब दर
8	भाग 2/11	वृक्षारोपण क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार कीटनाशक एवं रासायनिक खाद डालना एवं कीटनाशक का छिड़काव	67300	0.60	सैकड़ा	404	144964	APCCF जॉब दर
9	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	5.922	2.25	प्रति कि.मी.	13.33	4784	APCCF जॉब दर
10	भाग 2/12	पौधों की सिंचाई कार्य	6730	1.25	प्रति सैकड़ा	84	30201	APCCF जॉब दर
11	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	365	359	प्रति दिवस	365	131035	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी —				3907	1402683	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
12	बाजार दर	रासायनिक खाद (डी.ए.पी./यूरिया) एवं कीटनाशक खरीदी — (20 ग्राम डी.ए.पी. + 20 ग्राम यूरिया + 10 ग्राम कीटनाशक प्रति पौधा)	3365	0.137	कि.ग्रा.	461	165501	बाजार दर
13	बाजार दर	वर्मी कम्पोस्ट (1/2 किलो प्रति पौधा) क्रय एवं परिवहन	336.5	2.66	क्विंटल	895	321337	बाजार दर
14	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	13	4500	एल. एस.
		योग सामग्री —				1369	491338	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				5276	1894021	
		व्यय प्रति हेक्टेयर —					28143	

पंचम वर्ष 2026-27 (रखरखाव का तृतीय वर्ष)

मानव दिवस रु. 359.00

क्र0	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मानव दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत	5.922	0.00	प्रति कि.मी.	209	75000	एल. एस.
2	एल. एस.	भू-जल संरक्षण कार्यों का मरम्मत	0	0.00	प्रति	181	65000	एल. एस.
3	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	5.92	2.25	प्रति कि.मी.	13.33	4784	APCCF जॉब दर
4	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	365	359	प्रति दिवस	365	131035	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी —				768	275819	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
5	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	0	0	एल. एस.
		योग सामग्री —				0	0	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				768	275819	
		व्यय प्रति हेक्टेयर —					4098	

षष्ठम वर्ष 2027-28 (रखरखाव का चतुर्थ वर्ष)

मानव दिवस रु. 359.00

क्र0	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मावन दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	भाग 1/2	6वें वर्ष वृक्षारोपण क्षेत्र की सफाई	67.3	4.00	हेक्टेयर	269	96643	सी.एफ. जॉब दर
2	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत	5.922	0.00	प्रति कि.मी.	56	20000	एल. एस.
3	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	5.92	2.25	प्रति कि.मी.	13.33	4784	APCCF जॉब दर
4	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	365	359	प्रति दिवस	365	131035	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				703	252462	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
4	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	0	0	एल. एस.
		योग सामग्री -				0	0	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				703	252462	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					3751	

सप्तम वर्ष 2028-29 (रखरखाव का पंचम वर्ष)

मानव दिवस रु. 359.00

क्र0	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मावन दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत	5.922	0.00	प्रति कि.मी.	125	45000	एल. एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	5.92	2.25	प्रति कि.मी.	13.33	4784	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	365	359	प्रति दिवस	365	131035	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				504	180819	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
3	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	14	5000	एल. एस.
		योग सामग्री -				14	5000	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				518	185819	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					2761	

अष्टम वर्ष 2029-30 (रखरखाव का षष्ठम वर्ष)

मानव दिवस रु. 359.00

क्र0	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मावन दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत	5.922	0.00	प्रति कि.मी.	92	33000	एल. एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	5.92	2.25	प्रति कि.मी.	13.33	4784	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	365	359	प्रति दिवस	365	131035	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				470	168819	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
3	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	0	0	एल. एस.
		योग सामग्री -				0	0	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				470	168819	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					2508	

नवम् वर्ष 2030-31 (रखरखाव का सप्तम वर्ष)

मानव दिवस रु. 359.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मावन दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत	5.922	0.00	प्रति कि.मी.	56	20000	एल. एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	5.92	2.25	प्रति कि.मी.	13.33	4784	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	365	359	प्रति दिवस	365	131035	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				434	155819	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
3	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	0	0	एल. एस.
		योग सामग्री -				0	0	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				434	155819	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					2315	

दशम् वर्ष 2031-32 (रखरखाव का अष्टम वर्ष)

मानव दिवस रु. 359.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मावन दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	एल. एस.	फेंसिंग मरम्मत	5.922	0.00	प्रति कि.मी.	28	10000	एल. एस.
2	भाग 4/3	अग्नि सुरक्षा कार्य (वृक्षारोपण क्षेत्र में फेंसिंग के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ाई में फायर लाईन कटाई सफाई एवं जलाई)	5.92	2.25	प्रति कि.मी.	13.33	4784	APCCF जॉब दर
3	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	365	359	प्रति दिवस	365	131035	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				406	145819	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
3	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	0	0	एल. एस.
		योग सामग्री -				0	0	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				406	145819	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					2167	

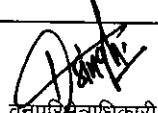
एकादशम् वर्ष 2032-33 (रखरखाव का नवम् वर्ष)

मानव दिवस रु. 359.00

क्र०	जॉब दर आयटम नम्बर	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर मावन दिवस	प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ- मजदूरी-मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)								
1	श्रमायुक्त दर	सुरक्षा कार्य	365	359	प्रति दिवस	365	131035	श्रमायुक्त दर
		योग मजदूरी -				365	131035	
ब- सामग्री-मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
2	एल. एस.	अन्य आकस्मिक व्यय			एल.एस.	0	0	एल. एस.
		योग सामग्री -				0	0	
		कुल योग (मजदूरी+सामग्री) :-				365	131035	
		व्यय प्रति हेक्टेयर -					1947	

वर्षवार व्यय का गोशवारा

क्र०	कार्य का विवरण	राशि	कुल मानव दिवस	प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि लेने पर गुणांक	कुल आवश्यक राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2	4	5	6	7	8
1	प्रथम वर्ष 2022-23 (क्षेत्र तैयारी)	9076267	25115	359.00	9076267	134863
2	द्वितीय वर्ष 2023-24 (रोपण)	5168433	14397	380.54	5478539	81405
3	तृतीय वर्ष 2024-25 (रखरखाव)	2019521	5625	403.37	2269134	33717
4	चतुर्थ वर्ष 2025-26 (रखरखाव)	1894021	5276	427.57	2255810	33519
5	पंचम वर्ष 2026-27 (रखरखाव)	275819	768	453.23	348215	5174
6	षष्ठम वर्ष 2027-28 (रखरखाव)	252462	703	480.42	337851	5020
7	सप्तम वर्ष 2028-29 (रखरखाव)	185819	518	509.25	263588	3917
8	अष्टम वर्ष 2029-30 (रखरखाव)	168819	470	539.80	253841	3772
9	नवम् वर्ष 2030-31 (रखरखाव)	155819	434	572.19	248352	3690
10	दशम वर्ष 2031-32 (रखरखाव)	145819	406	606.52	246358	3661
11	एकादशम वर्ष 2032-33 (रखरखाव)	131035	365	642.91	234664	3911
	योग :-	19473833			21012617	308736
1	आस्थामूलक कार्य (जे.एफ.एम. आदि) कुल दस वर्ष के व्यय का 5 प्रतिशत		21012617	5%	1050631	15611
2	मानव संसाधन विकास कार्य कुल दस वर्ष के व्यय का 1 प्रतिशत		21012617	1%	210126	3122
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य कुल दस वर्ष के व्यय का 4 प्रतिशत		21012617	4%	840505	12489
	योग :-				23113879	343445
1	वर्कचार्ज कन्टनजन्सी एवं सुपरविजन दस प्रतिशत		23113879	10%	2311388	34345
	महायोग :-				25425267	377790


वनपरिसूत्राधिकारी
कर्तुआ


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य)

उपवनमण्डलाधिकारी
देवसर


मुख्य वनमंडलाधिकारी
रीवा, वृत्त रीवा (मध्यप्रदेश)

आदेश क्रमांक / 51/75 दिनांक / 08.04.2023 से स्वीकृति प्रदान की गई।

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र कर्थुआ अन्तर्गत बीट धानी अन्तर्गत खसरा नम्बर, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79 ,80 रकवा 67.30 हेक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



वनरक्षक

बीट गार्ड धानी

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र कर्थुआ अन्तर्गत बीट धानी अन्तर्गत खसरा नम्बर, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79 ,80 रकवा 67.30 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



परिक्षेत्र सहायक

हरफरी

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र कर्थुआ अन्तर्गत बीट धानी अन्तर्गत खसरा नम्बर, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79 ,80 रकवा 67.30 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।



वनपरिक्षेत्राधिकारी

कर्थुआ

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र ~~मिर्सा~~ खसरा नम्बर, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80 रकबा 67.30 हेक्टेयर में पूर्व में किसी भी मद से वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है एवं न ही किसी मद से वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है।


परिक्षेत्र सहायक
हरफरी

फेंसिंग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत बैकल्पिक वृक्षारोपण वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र ~~मिर्सा~~ खसरा नम्बर, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80 रकबा 67.30 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र कर्तुआ में स्थित है। इस स्थल के समीप पत्थर दीवार/फेंसिंग बनाने हेतु पत्थर की उपलब्धता नगण्य है। "वृक्षारोपण क्षेत्र के घेराव का एक मात्र एवं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चैनलिक फेंसिंग ही है, वृक्षारोपण क्षेत्र में चैनलिक फेंसिंग का घेराव हो जाने पर वृक्षारोपण क्षेत्र एवं चैनलिक फेंसिंग की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी"


वनपरिक्षेत्राधिकारी
कर्तुआ

श्री. सि. रि. (म. ७)

दिनांक	अपस्थित सदस्यों के नाम	पट्ट	परताव	वैष्णव की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
28/03/23	श्री अशोक द्विवेदी	अध्यक्ष	परताव क्रमांक-01	आज दिनांक 28/03/2023 को पूर्व सूचना के अनुसार राष्ट्रीय वन प्रबंधन समिति-मोगई की बैठक का अभिप्रेत अधिवेशन श्री अशोक कुमार द्विवेदी जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भारत के वन संरक्षण
	श्रीमती सीता रावत	उपाध्यक्ष	जाम नैपई-11 के मध्यवस्थापन की	कार्यवाही:- बैठक में उपस्थित सदस्यों की ओमली नामसूची- द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि अखिल भारतीय मिशन के तहत वन विभाग को ग्राम-नैपई-2 में स्थित मध्यवस्थापन अखिल विभाग (अखिल-2) में
	श्री विक्रम द्विवेदी	कोषाध्यक्ष	क्रमांक-02	की वैयक्तिक व्यवस्थापन हेतु बट्टे में मिनी रजल यूनिट एकता = 6 न. 20 म. में मध्यवस्थापन वन विभाग द्वारा व्यवस्थापन करवाया जाए, जिससे कि ग्राम
	श्री राममगन द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-03	वासियों को जंगल मिले के साथ-साथ वन सर्वे परीभाषा को दृष्टिगत रखकर बनाया जा सके।
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-04	निर्णय:- उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा पूर्व-संकेतित से प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मंड निर्णय लिया गया कि अखिल वन प्रबंधन समिति-मोगई अधिवेशन द्वारा वास्तविक धूमि में से कुल=12 अधिसूचियों में से=6 न. 20 हे. में वन विभाग द्वारा वैयक्तिक व्यवस्थापन करवाया जाए ताकि स्थानीय जनता को जंगल के साथ-साथ पर्यावरण को संरक्षित बनाया जा सके जिसकी कुल अनुमानित लागत राशि=25425254=00 रुपये है।
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-05	इसके प्रस्तावों का भी वह बैठक अधिवेशन में स्थिति की अनुमति से नहीं पर-विस्तारित की जाती है।
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-06	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-07	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-08	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-09	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-10	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-11	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-12	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-13	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-14	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-15	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-16	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-17	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-18	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-19	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-20	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-21	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-22	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-23	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-24	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-25	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-26	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-27	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-28	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-29	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-30	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-31	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-32	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-33	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-34	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-35	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-36	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-37	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-38	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-39	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-40	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-41	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-42	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-43	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-44	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-45	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-46	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-47	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-48	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-49	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-50	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-51	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-52	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-53	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-54	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-55	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-56	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-57	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-58	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-59	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-60	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-61	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-62	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-63	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-64	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-65	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-66	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-67	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-68	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-69	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-70	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-71	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-72	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-73	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-74	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-75	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-76	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-77	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-78	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-79	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-80	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-81	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-82	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-83	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-84	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-85	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-86	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-87	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-88	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-89	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-90	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-91	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-92	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-93	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-94	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-95	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-96	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-97	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-98	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-99	
	श्री अशोक द्विवेदी	सदस्य	क्रमांक-100	

आप

अध्यक्ष

श्री अशोक द्विवेदी

मोगई

Utkarsh

कोषाध्यक्ष

श्री विक्रम द्विवेदी

मोगई

श्री अशोक द्विवेदी

मोगई



न्यायालय कलेक्टर जिला सिंगरौली (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक 56/अ-20(3)/2022-23

विषय:- वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म०प्र० शासन, वन विभाग को नजूल भूमियों का अन्तरण।

आदेश

(आज दिनांक 18 जनवरी, 2023 को पारित एवं घोषित)



प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा सिंगरौली जिले के 889 ग्रामों को जल प्रदाय हेतु 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत गोण्ड देवसर, वैढन-1 एवं वैढन-2 समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जल स्रोत से प्रत्येक ग्राम तक एवं ग्राम के भीतर घरों तक पाइप लाइन बिछायी जा रही है। पाइप लाइन बिछाने का कार्य सड़क के आर०ओ०डब्ल्यू० अथवा उपलब्ध अलाइनमेंट पर किया जाना है। यह पाइप लाइन कई क्षेत्रों में वन भूमियों से होकर ले जाई जाना अपरिहार्य है। वन भूमियों से होकर पाइप लाइन बिछाने से आवश्यकतानुसार वृक्षों की कटाई भी अपरिहार्य होगी। 'जल जीवन मिशन' के लिए नियुक्त क्रियान्वयन एजेंसी मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा उक्त कार्य में प्रभावित विभिन्न वनखण्डों की लगभग 91.00 हेक्टर वन भूमियां उपलब्ध कराए जाने हेतु आवेदन/प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। उक्त वन भूमियों के बदले में वन विभाग को समतुल्य राजस्व भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है। महाप्रबंधक, म०प्र० जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा ग्राम नौगई-द्वितीय, तहसील चितरंगी स्थित 13 सर्वे नंबरान की 67.30 हेक्टर नजूल भूमियों का अन्तरण वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु किए जाने का अनुरोध किया गया है जिससे कि वन विभाग की प्रभावित भूमियों योजना के क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध हो सके।

2- 'जल जीवन मिशन' योजना की महत्ता के दृष्टिगत वन विभाग की प्रभावित हो रही भूमियों के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नजूल भूमियां वन विभाग को अन्तरित किए जाने हेतु प्रकरण नजूल निवर्तन निर्देश, 2020 के तहत पंजीकृत किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी को अन्तरित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी द्वारा उक्त निर्देशों के तहत अपेक्षित विन्दुओं पर जांच कराई गई। इशतहार प्रकाशित कराया गया। जांच उपरान्त प्रतिवेदन के साथ प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम नौगई द्वितीय, तहसील चितरंगी स्थित निम्नांकित तालिका में उल्लिखित 67.30 हे० नजूल भूमियों का अन्तरण म०प्र० शासन वन विभाग को अन्तरित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

क्रमशः....

प्रकरण क्रमांक 56/अ-20(3)/2022-23

तालिका

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	कुल क्षेत्रफल (हे०)	अन्तर्गण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)
1	2	3	4	5	6
सिंगरौली	चितरंगी	नीगई द्वितीय	64	0.84	0.24
			67	0.62	0.62
			68	9.04	8.44
			69	8.12	7.92
			70	3.59	3.39
			71	12.07	11.87
			72	8.63	8.63
			73	15.85	14.05
			76	0.90	0.70
			77	0.60	0.60
			79	4.53	3.93
			80	6.77	6.77
			84/1	0.14	0.14
13 किता			71.70	67.30	



3- प्रकरण के परीक्षण से पाया गया कि अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमियों में से खसरा नंबर 71 रकबा 12.07 हे०, 72 रकबा 8.63 हे०, 73 रकबा 15.85 हे० एवं खसरा नंबर 79 रकबा 4.53 हे० 'चरनोई' प्रयोजन हेतु आरक्षित हैं। अतएव तत्संबंध में उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी को म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 (संक्षेप में संहिता) की सुसंगत प्रावधानों के तहत जांच व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी द्वारा जांच एवं कार्यवाही उपरान्त 'चरनोई' हेतु आरक्षित उक्त भूमियों को वर्तमान प्रयोजन से पृथक किया जाकर वन विभाग को अन्तरित किया जाना तथा उक्त भूमियों के एवज में 'चरनोई' हेतु उसी ग्राम की अन्य नजूल भूमि खसरा नंबर 459 का अंश रकबा 8.00 हे०, 1555 रकबा 11.76 हे० एवं खसरा नंबर 1621 रकबा 8.20 हे० कुल तीन किता कुल रकबा 27.96 हे० को 'चरनोई' प्रयोजन हेतु आरक्षित किया जाना प्रस्तावित किया गया। इस हेतु उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी द्वारा कार्यवाही उपरान्त प्रस्तुत प्रकरण इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 12/अ-59/2022-23 पंजीकृत किया जाकर संहिता की धारा 237 की उपधारा (1), (3) (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत वन विभाग को अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमियों को उनके वर्तमान प्रयोजन 'चरनोई' से मुक्त घोषित किया जाकर उनके बदले में नवीन प्रस्तावित आराजियात को 'चरनोई' प्रयोजन के निमित्त आरक्षित घोषित किया गया। तदुसार अभिलेखीय प्रविष्टियों की तब्दीलात दुस्त की जा चुकी है।

क्रमशः...

प्रकरण क्रमांक 56/अ-20(3)/2022-23

4- प्रकरण एवं संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित भूमियां म०प्र० शासन, राजस्व विभाग की नजूल भूमियां हैं जिनमें किसी व्यक्ति विशेष का कोई हित निहित नहीं है। उद्घोषणा प्रकाशन पर प्रस्तावित अन्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति पेश नहीं हुई है। जिला नजूल निवर्तन समिति, सिंगरौली की बैठक दिनांक 16.11.2022 में प्रस्तावित नजूल भूमियां वर्णित प्रयोजन हेतु वन विभाग को अन्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा प्रस्तावित भूमियों की वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता के संबंध में उनके पत्र क्रमांक मा०चि०/6368 वैदन, दिनांक 29.8.2022 के माध्यम से यह लेख किया गया है कि :- "म०प्र० जल निगम द्वारा विभिन्न प्रकरणों में प्रस्तावित वन भूमि के बदले इस विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि दिया जाना है जिसका स्थल निरीक्षण संलग्न सूची अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी, करधुआ से कराया गया है जो निम्नानुसार है। अतः स्थल निरीक्षण पंचनामा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।" उक्तानुसार वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमियों के अन्तरण के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गई है। तात्पर्य यह कि प्रस्तावित भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हैं।

5- अतएव वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली के उक्त प्रतिवेदन तथा जिला नजूल निवर्तन समिति द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार इस आदेश के उपरोक्त कंडिका 2 में दी गई तालिका के कालम 4 में उल्लिखित खसरा नंबरान की कालम 6 में अंकित क्षेत्रफल की भूमियां वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म०प्र० शासन, वन विभाग को अन्तरित की जाती हैं। तहसीलदार, तहसील चितरंगी उक्तानुसार अन्तरित भूमियों की अभिलेखीय प्रविष्टियों की तब्दीलात दुरुस्त करावें एवं मौके से सीमांकन कराते हुए वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा अधिकृत वन अधिकारी को कब्जा दिलाते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।



(अरुण परमार)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली(म०प्र०)

जिला सिंगरौली(म०प्र०)

पृष्ठांकन क्रमांक 517/1 अभि०पासबुक/2022-23 सिंगरौली, दिनांक 18 जनवरी, 2023
प्रतिलिपि:-

- 1- वन मण्डल अधिकारी, सिंगरौली
- 2- उपखण्ड अधिकारी, चितरंगी
- 3- तहसीलदार, तहसील चितरंगी
- 4- महाप्रबंधक, म०प्र० जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अरुण परमार)
कलेक्टर
जिला सिंगरौली(म०प्र०)